

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	BIL-10/3	राघु / घीसाजी / बिलाया	2.5 लाख का विशेष अनुदान देने बाबत	आवेदक को एफआरएल-बीडब्ल्यूएल पर मुआवजा राशि रु.12220 दी गई है।	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र.-20984 आदेश दिनांक 04.05.09 के द्वारा अमान्य किया है।	आवेदक ने विशेष अनुदान/पैकेज की मांग की गई है जो शासन स्तर से संबंधित है।	
2	BIL-12	भागड़ा / रूमालसिंह / बिलाया	25 प्रतिशत भूमि अर्जन करने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.682483 एवं वि.पु.अ. राशि रु.350598 एवं बीडब्ल्यूएल पर पुनर्वास अनदान राशि रु. 43700 दिया गया है।	---	आवेदक को समस्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। छंटी हुई संपत्ति का सर्वे कराया जा सकता है।	
3	BIL-447	नानसिंह / भागड़ा / बिलाया	घर का भूअर्जन करने बाबत	---	---	आवेदक का भूअर्जन प्रस्ताव में मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य एवं भूअर्जन के प्रावधानों को विफल करने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाने से भूअर्जन प्रक्रिया से पृथक किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	BIL-47	दयाराम / पुनिया / बिलाया	घर का मुआवजा 25000 कम बनने पर शेष राशि देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 5963 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
2	BIL-33	भागीरथ / छगन / बिलाया	घर का मुआवजा कम बनने पर शेष राशि देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 159006 एवं वि.पु.अ. राशि रु. 76896 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21006 आदेश दिनांक 13.06.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
3	BIL-38	सुकिया / कालू / बिलाया	घर का मुआवजा कम बनने से शेष राशि देने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी में मुआवजा राशि 12,371/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान राशि रु.75,129/- स्वीकृत कर भुगतान किया गया। जीआरए से मान्य आदेश राशि रु.7629/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 27946 आदेश दिनांक 03.06.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य, पालन किया गया।	आवेदक को शासन की निर्धारित दर के आधार पर मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है।	
4	BIL-37	दिलीप / तुलसीराम / बिलाया	घर का मुआवजा कम बनने पर शेष राशि देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 17794 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -19964/27955/1996 4 आदेश दिनांक 20.11.08/06.11.09/08.06.09/17.06.09/06.11.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

5	BIL-1	केसरेसिंह / रेवाजी / बिलाया	मकान दर्ज नहीं हुआ भूमि का मुआवजा कम मिला।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रं.07 पर 0.44 एकड़ अर्जित भूमि का मुआवजा 12,044/- एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 10,883/- निर्धारण कर भुगतान किया गया, तथा 25 प्रतिशत शेष कृषिभूमि अवार्ड गणनापत्रक क्रं.03 पर 0.02 एकड़ अर्जित भूमि की मुआवजा राशि 942, एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.1260/- का निर्धारण कर भुगतान किया गया।	मकान के संबंध में जी. आर.ए. प्रकरण क्रमांक 20998 पारित आदेश दिनांक 06.04.09 एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्रं./194/09/ एलए/11047 खंडवा दिनांक 21.08.2009 द्वारा निराकृत।	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि न.वि.सं.क्रं.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, तथा मकान भूअर्जन अधिनियम की धारा-4(1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया है। भूमि का मुआवजा आयुक्त महो. द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर निर्धारित किया गया। यदि आवेदक मुआवजा राशि से असंतुष्ट था, तो उसे सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स याचिका प्रस्तुत करना था। इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है।	
---	-------	-----------------------------	--	--	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

1	BIL-58	तोताराम / बाबूलाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 58766 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.17296 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. ---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
2	BIL-59	गेंदाबाई / तापीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 13083 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.5939 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28536 आदेश दिनांक 14.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24733 दिनांक 27.12.09. राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
3	BIL-60	ओंकार / तापीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 13083 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.5939 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28542 आदेश दिनांक 14.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24731 दिनांक 27.12.09. राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
4	BIL-61	जगदीश / तापीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 13083 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.5939 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28544 आदेश दिनांक 14.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24732 दिनांक 27.12.09. राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

5	BIL-63	हरिराम / तापीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 13083 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.5939 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
6	BIL-42	पार्वतीबाई / नानकराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.72008 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
7	BIL-62	मोहन / तापीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 13083 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.5939 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28543 आदेश दिनांक 14.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24730 दिनांक 27.12.09. राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
8	BIL-162	दरियावसिंह / खुमानसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 416314 वि.पु.अ. राशि रु. 525880 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
9	BIL-172	शेलीबाई / डेरिया / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के संलग्न दस्तावेज अनुसार मुआवजा राशि रु.30122 प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

10	BIL-168	मानसिंह / चंपालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 416314 वि.पु.अ. राशि रु. 525880 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28538 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24726 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
11	BIL-324	पार्वतीबाई / नानकरा / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.72008 एवं वि.पु.अ. राशि रु.275 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया में न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
12	BIL-167	जगदीश / कालू / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 15876 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27958 आदेश दिनांक 11.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
13	BIL-257	कलाबाई / गजराजसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु. 267685 वि.पु.अ. राशि रु. 18492 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28557 आदेश दिनांक 26.03.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24742 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

14	BIL-165	कमल / मंशाराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 17365 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
15	BIL-166	सुनिल / छतरसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.30018 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होकर कृषि कार्य हेतु था। रहवासी मकान ग्राम आबादी में दूसरी जगह स्थित है।	
16	BIL-163	देवकरण / नानकराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता क नाम से ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु. निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
17	BIL-57	बाबूलाल / नारायण / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 85138 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.12544 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
18	BIL-160	सकाराम / सोनाजी / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 14747 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -18484 आदेश दिनांक 12.11.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

19	BIL-159	लाडकीबाई / हीरालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 217759 वि.पु.अ. राशि रु. 315348 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
20	BIL-157	सावित्रीबाई / अमान / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 15882 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27943 आदेश दिनांक 11.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
21	BIL-156	हरिकरण / नानकराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता को मुआवजा राशि रु.72008 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
22	BIL-52	सुनिल / छतर / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 30018 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
23	BIL-154	टेटिया / गट्टू / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 30122 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15723/20987/20990 आदेश दिनांक 10.11.09/02.06.09/02.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

24	BIL-164	पेमा / कालू / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 16168 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27956 आदेश दिनांक 03.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
25	BIL-320	तोताराम / बाबू / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 58766 वि.पु.अ. राशि रु. 17296 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
26	BIL-5	नानकराम / हिरालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम ऐखंड के गणना पत्रक में मुआवजा राशि रु.372495 एवं वि.पु.अ. राशि रु.357147 निर्धारित कर प्रदान की गई है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28553 आदेश दिनांक 26.03.09 के कंडिका 6.1 के तहत राशि रु. 18700 स्वीकृत कर चेक क्र.-24747 दिनांक 27.12.09 के प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक ग्राम ऐखंड का निवासी होने से ग्राम बिलाया की परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	
27	BIL-303	गिरधारी / सीताराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता के नाम से मुआवजा राशि रु.275694 एवं वि.पु.अ. राशि रु.420 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

28	BIL-309	शांताबाई / सीताराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को मुआवजा राशि रु.82846 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -25866 आदेश दिनांक 21.11.08/07.11.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
29	BIL-308	शिवशंकर / सीताराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता के नाम से मुआवजा राशि रु.82846 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -25867 आदेश दिनांक 21.11.08/06.11.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
30	BIL-311	सरदार बक्श / आलाबक्श / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.991158 एवं वि.पु.अ. राशि रु.154370 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के मकान का अर्जन ग्राम बिलाया से न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
31	BIL-312	शिवशरण / नैनसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 36227 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
32	BIL-313	भोमा / मंगल्या / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 17244 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27950 आदेश दिनांक 11.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

33	BIL-316	मिथुन / जसवत / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के संलग्न दस्तावेज अनुसार मुआवजा राशि रु. 55507 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
34	BIL-317	चैनसिंह / चंपालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 416314 वि.पु.अ. राशि रु. 525880 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28539 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24725 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
35	BIL-326	रामसिंह / अमरसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 6378 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
36	BIL-319	रमेश / नहारसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 92044 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
37	BIL-151	ग्यानाबाई / तुलसीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 16297 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -19963 आदेश दिनांक 20.11.09 के तहत पुनर्वास अनुदान हेतु प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

38	BIL-321	नर्मदा शंकर / भगवान / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 346493 वि.पु.अ. राशि रु. 149533 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
39	BIL-322	राजेन्द्र / जागू / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.45150 एवं पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27947 आदेश दिनांक 03.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 2 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
40	BIL-323	नानकराम / बाबूलाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 156420 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28540 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24737 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक के मकान का न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

41	BIL-325	दिलीप / तुलसीराम / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 17794 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -199464 आदेश दिनांक 20.11.08/06. 11.09 एवं प्रकरण क्र. -27955 आदेश दिनांक 08.06.09 एवं आदेश दिनांक 19964 आदेश दिनांक 17.06.09/06. 11.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
42	Bil-327	अशोक / लक्ष्मण / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 7800 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -19968/20991 आदेश दिनांक 10.11.08/19.11.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
43	BIL-64	लाडकीबाई / हीरालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 217759 वि.पु.अ. राशि रु. 315348 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
44	BIL-35	संतोष / यशवंत / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 2657 वि.पु.अ. राशि रु.2473 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

45	BIL-	दयाबाई / यशवंत / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.2657 वि.पु. अ. राशि रु.2473 एवं संषोधित एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.2180 एवं वि.पु.अ. राशि रु.991 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -128535 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु.9350 चेक क्र. -24739 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
46	BIL-56	भीमसिंह / जसवंतसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.109031 वि.पु.अ. राशि रु.151048 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
47	BIL-54	सकाराम / बाबूलाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.184305 वि.पु.अ. राशि रु.85209 एवं संषोधित एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.81628 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -16696 आदेश दिनांक 12.11.08 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	
48	BIL-523	श्रीराम / हीरालाल / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 265737 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	एफआरएल पर ग्राम की आबादी डूब में नहीं है। आवेदक के जिस मकान का अर्जन किया गया है वह रहवासी न होने के कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	BIL-26.	गुलाबबाई / गोपाल / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.109405 एवं वि.पु.अ. रु.57511 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
2	BIL-526	भीमसिंह / जसवंतसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 109031 वि.पु.अ. राशि रु. 151048 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
3	BIL-18	नदानसिंह / खुमानसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता क नाम से मुआवजा राशि रु.416314 एवं वि.पु.अ. राशि रु.525880 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
4	BIL-16	पार्वतीबाई / खुमानसिंह / बिलाया	परिवार सूच में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति को मुआवजा राशि रु.416314 एवं वि.पु.अ. राशि रु.525880 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदका के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
5	BIL-525	सुरलीबाई / डेरिया / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 30122 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदिका के पिता के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

10	BIL-55	अशोक / लक्ष्मण / बिलाया	प्लॉट, अनुदान व परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 7800 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -19968 आदेश दिनांक 10.11.08 एवं प्रकरण क्र. -20991 आदेश दिनांक 19.11.08 के तहत पुनर्वास अनुदान एवं कंडिका 7.2 का प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान व भूखंड नहीं दिया गया।	
11	BIL-25	प्रेमसिंह / खुमानसिंह / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 416314 एवं वि.पु.अ. रु. 525882 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28532 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24729 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
12	BIL-17	दरियावसिंह / खुमानसिंह / बिलाया	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 416314 का मुआवजा व रु. 525880 राशि का वि.पु.अ. दिया गया है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।	
13	BIL-28	रहीमबक्श / सरदार बक्श / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.991158 एवं वि.पु.अ. रु. 154370 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -28548 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24735 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

18	BIL-66	सावित्रीबाई / अमन / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि व प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि 15882 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27943 आदेश दिनांक 11.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान/भूखंड नहीं दिया गया।	
19	BIL-65	तुलसीराम / छगन / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि व प्लाट दिये जाने बाबत परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि व प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि 16297 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27959 आदेश दिनांक 03.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान राशि/भूखंड नहीं दिया गया।	
20	BIL-64.	ज्ञानीबाई / तुलसीराम / बिलाया	अनुदान राशि व प्लाट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि 16297 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27959 आदेश दिनांक 03.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदकगण के नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान राशि/भूखंड नहीं दिया गया।	
21	BIL-53	धन्नालाल पि हीरालाल / विजेन्द्र,जितेन्द्र पि. धन्नालाल / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि व प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.159006 एवं वि.पु.अ. राशि रु.22735 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28555 आदेश दिनांक 20.04.09 के तहत रु. 18700 चेक क्र.-24746 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदकगण का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान राशि/भूखंड नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

25	BIL-36	दयाबाई / यशवंत / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.2657 वि.पु. अ. राशि रु.2473 एवं संषोधित एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.2180 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28535 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24739 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
26	BIL-48	रूपसिंह / नहारसिंह / बिलाया	घर का भूअर्जन करने बाबत	---	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र.-23942 दिनांक 30.04.09 के द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया है।	डूब लाईन से बाहर होने के कारण मकान अर्जन नहीं किया गया।	
27	BIL-21	राधेश्याम / गोपाल / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से मुआवजा राशि रु.316692 एवं वि.पु.अ. राशि रु.83553 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28550 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24740 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
28	BIL-34	अशोक कुमार / यशवंत / बिलाया	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.108021 वि.पु.अ. राशि रु.15998 एवं संषोधित एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.98877 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28541 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24738 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

29	BIL-29	राजलबाई / नैनसिंह / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा, अनुदान व प्लाट प्रदान करने बाबत	आवेदिका के पति के नाम से मुआवजा राशि रु.36227 निर्धारित की प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है।	
30	BIL-41	नानकराम / बाबूलाल / बिलाया	प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 156420 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28540 आदेश दिनांक 18.05.09 के तहत रु. 9350 चेक क्र.-24737 दिनांक 27.12.09 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
31	BIL-43	सुभाष / जसवंत / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान व प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 7248 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21005 आदेश दिनांक 12.11.08 के तहत रु. 110752 चेक क्र. -411729 दिनांक 1.05.09. राशि प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के आदेशानुसार पुनर्वास अनुदान व कंडिका 7.2 प्रदान की जा चुकी है।	
32	BIL-50	कोमल / रघुराम / बिलाया	प्लाट मिलने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 29807 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	---	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

33	BIL-51	रघुराम / छगन / बिलाया	प्लाट बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 15677 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	रु. जीआरए के प्रकरण क्र. -27947 आदेश दिनांक 03.06.09 के तहत रु. 4323 चेक क्र.-328694 दिनांक 11.09.07 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखंड नहीं दिया गया।	
34	BIL-32	मंगलसिंह / नैनसिंह / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा, अनुदान व प्लाट देने बाबत	आवेदक को एफआरएल पर मुआवजा राशि रु. 36227 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक को मकान का मुआवजा दिया जा चुका है। अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज न होने से अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है।	
35	BIL-31	भगवतसिंह / नैनसिंह / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा, व अनुदान एवं प्लाट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 36227 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक को मकान का मुआवजा दिया जा चुका है। अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज न होने से अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है।	
36	BIL-30	धरमसिंह / नैनसिंह / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा, अनुदान व प्लाट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 36227 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	---	आवेदक को मकान का मुआवजा दिया जा चुका है। अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज न होने से अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

37	BIL-4	शिवशरणसिंह / नैनसिंह / बिलाया	परिवार के सदस्यों को मकान, मआवजा व अनुदान राशि व प्लॉट देने बाबत	आवेदक को मुआवजा राशि रु. 36227 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	---	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान व प्लॉट नहीं दिया गया।	
38	BLY-67	कमल / भीमा / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मकान की मुआवजा राशि 17244 रु० दिया गया है।	---	अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
39	BIL-14	प्रतापसिंग / हीरालाल / बिलाया	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम कृषि मुआवजा गणना पत्रक में सहखातेदार के रूप में क्र.32 पर मुआवजा राशि 1,59,006/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु. 22,735/- भुगतान की गई। जीआरए द्वारा मान्य आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि रु.18700/- स्वीकृत कर सशर्त भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 28558 आदेश दिनांक 06.04.2009 द्वारा कंडिका 6.1 मान्य, पालन किया गया।	आवेदक को जीआरए द्वारा पुनर्वास नीति की कंडिका 6.1 की राशि मान्य की गई है। अन्य कंडिकाओं का लाभ नहीं दिया जाने के कारण भूखंड की पात्रता नहीं है। आवेदक की केवल कृषिभूमि ग्राम एखण्ड में अर्जित की गई है, रहवासी मकान ग्राम बिलाया में डूब से प्रभावित नहीं है।	
40	BLY-4	अमरसिंह / भीमा / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 17244 रु० दिया गया है।	---	अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	BIL-344	तोताराम / बाबूलाल / बिलाया	भूमि के मुआवजा के संबंध में।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.14 पर मुआवजा राशि 1,56,420/- भुगतान की गई।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, अवार्ड गणना पत्रक में उन्हीं खसरा नंबर एवं रकबे को शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव में दर्ज थी।	
2	BIL-08	राधेश्याम / हीरालाल / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम ग्राम एखण्ड में कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.20 पर मुआवजा राशि 372495/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु. 3,57,147/- भुगतान की गई।	---	आवेदक के पिता के नाम ग्राम एखण्ड में कृषिभूमि अर्जित की गई है, तथा आवेदक के पिता का रहवासी मकान ग्राम बिलाया में है, जो डूब से प्रभावित नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
3	BIL-155	रायसिंह / नहारसिंह / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.21 पर मुआवजा राशि 82,846/- भुगतान की गई।	---	आवेदक की ग्राम में केवल कृषिभूमि ही अर्जित की गई है, रहवासी मकान का अर्जन नहीं किया गया है। अतः पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

6	BIL-07	हीरालाल / मुकुटसिंह / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक की ग्राम एखण्ड में कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.20 पर मुआवजा राशि 372495/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु. 3,57,147/- भुगतान की गई।	---	आवेदक की ग्राम एखण्ड में कृषिभूमि अर्जित की गई है, तथा आवेदक का रहवासी मकान ग्राम बिलाया में है, जो डूब से प्रभावित नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
7	BIL-06	भारतसिंह / हीरालाल / बिलाया	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक की ग्राम एखण्ड में कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.20 पर मुआवजा राशि 372495/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु. 3,57,147/- भुगतान की गई।	---	आवेदक की ग्राम एखण्ड में कृषिभूमि अर्जित की गई है, तथा आवेदक का रहवासी मकान ग्राम बिलाया में है, जो डूब से प्रभावित नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : बिलाया आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

8	BIL-11	प्रेमसिंह / भांगड़ा / बिलाया	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.15 पर मुआवजा राशि 6,82,483/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु.3,50,598/- एवं बी. डब्ल्यू.एल. कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.04 पर मुआवजा राशि 201511/- एवं वि.पु.अनु. राशि रु. 1798/- भुगतान की गई। आवेदक के पिता को संशोधित एफआरएल-बी. डब्ल्यू.एल. में पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.09 पर राशि रु. 43,700/- स्वीकृत कर भुगतान किया गया। आवेदक को जीआरए द्वारा मान्य आदेश के पालन में राशि रु. 43700/- स्वीकृत कर 38700/- का भुगतान किया जा चुका है। शेष 5000/- विस्थापन पश्चात भुगतान किया जावेगा।	जीआरए प्रकरण क्र. 21002 आदेश दिनांक 12.11.2008 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य पालन किया गया।	आवेदक को शासन की निर्धारित दर अनुसार मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि न.वि.सं.क्रं. 32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
---	--------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--